एक नजर में

सत्संग से पापी भी पावन बन जाता है : श्रुत मुनि

इंदौर. तन-मन-धन-वचन द्वारा सेवा करने के लिए भाग्योदय चाहिए. जो नि:स्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे भगवन मिलते हैं, सेवा कर्म की निर्जरा करता है, सेवा से सदमार्ग प्राप्त होता है और सेवा से मुक्ति मिलती है. उक्त विचार श्रमणसंघीय उप प्रवर्तक श्री श्रुतमुनिजी म.सा. ने इंदौर उपनगर में विचरण में आयोजित आध्यात्मिक प्रवचन सभा में ऐसा दो वरदान विषय पर बोलते हुए कहे. उन्होंने कहा कि हमें प्रतिदिन प्रात: उठकर तीन वरदान मांगना चाहिए. जिसमे सेवा का वरदान, सुमिरण और सत्संग होना चाहिए. सेवा साधना है, सेवा आराधना है। सुमिरण अर्थात परमात्मा को याद करें. सुमिरण के द्वारा विचारों को उच्च बनाया जाता है. सत्संग के द्वारा पापी भी पावन बन जाता है, सद्पुरुषों के सत्संग से जीवन परिवर्तन हो जाता है. जिनवाणी श्रवण का मौका मिले तो हमें झोली भर लेना चाहिए. अध्यात्मिक प्रवचन की सभा का शुभारंभ अक्षरमुनिजी एवं मधुरमुनि के मंगलाचरण से हुआ 7 सभा में महासती श्री विजया श्री भी उपस्थित हुई. पार्श्व आरोग्यम, मनोरमागंज, इंदौर पर आयोजित सभा में प्रकाश भटेवरा ने स्वागत भाषण दिया एवं डॉ. शरद डोसी ने सेंटर का अवलोकन करवाते हुए मुनिश्री को बताया कि प्रतिदिन नाममात्र के शुल्क पर परामर्श प्रदान किया जाता है. सभा में रमेश भंडारी, हेमंत बोहरा, राजकुमार जैन, विजयसिंह नाहर, राजेश चौरड़िया, सी ए विनोद जैन, अशोक सुराणा, प्रकल्प जैन, सुशील गोखरू, सुभाष विनायका, अशोक डांगी, बसंत बाफना,सौरभ जैन, सुविधि जवेरी, पदम तांतेड़ आदि उपस्थित थे. संचालन जिनेश्वर जैन ने किया .

बच्चों- पालकों के बीच तनाव कम करने व्याख्यान

इंदौर. अन्नपूर्णा क्षेत्र अग्रवाल महासंघ ने समाज के बच्चों और उनके माता-पिता के बीच तनाव को कम करने तथा रिश्तों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महाराजा यशवंत राव स्कूल परिसर में बहुआयामी प्रतिभा के धनी अली हुसैन के व्याख्यान एवं संवाद का अनूठा आयोजन किया, जिसमें उन्होंने करीब एक घंटे तक अपने धारा प्रवाह व्याख्यान में रामायण, महाभारत से लेकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से जुड़े उदाहरण देकर बच्चों को जीवन में सफलता एवं लक्ष्य प्राप्त करने के सूत्र बताए। सहयोगी काउंसलर गोविंद शर्मा ने भी प्रेरक बातें कहीं. अन्नपूर्णा क्षेत्र अग्रवाल महासंघ के संरक्षक किशोर गोयल, अध्यक्ष संजय गोयनका एवं राजेन्द्र गर्ग समर्पण ने प्रारंभ में कार्यक्रम की भूमिका बताई. पूर्व अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, संयोजक पिंकेश मोदी, रमेश अग्रवाल, धर्मेन्द्र गर्ग, अवधेश अग्रवाल, अजय अग्रवाल रेवेन्यू, अभिषेक सोनथलिया, मनोज टायर, गौरव अग्रवाल, दिनेश सोनिया गर्ग, प्रहलाद गर्ग, शालिनी मोदी, रिंकू राजेश अग्रवाल, चंद्रप्रकाश मित्तल सहित अनेक पालकों ने इस परिसंवाद में अपनी भागीदारी दर्ज कराई. तुषार मित्तल, सीए संजय सिंघल, हाईकोर्ट एडवोकेट मनोज गुप्ता ने भी बच्चों और पालकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया. कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रावीण्यता प्राप्त करने वाले बच्चों को संगठन की ओर से ट्राफी, उपहार एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। प्रतिभाशाली छात्रों में अविश अग्रवाल, अंशिका गोयल, खुश अग्रवाल, वंशिका मित्तल, हिरल अग्रवाल, अदिति अग्रवाल, सक्षम बंसल, सौम्या जिंदल, अथार्शी गर्ग, साध्वी सिंहल, शुभम अग्रवाल आदि शामिल थे.

सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता : पाटीदार

महू. सैनिक का धर्म देश की सेवा करना होता है। वह कभी भी भूत पूर्व नहीं होता वह मरते दम तक सैनिक ही रहता हैं. यह बात राज्य सभा सांसद कविता पाटीदार ने सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहीजन चेतना मंच द्वारा गत दिनों पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को माला और तिरंगा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सैनिकों के अद्वितीय योगदान को नमन किया गया. आयोजन की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार थीं. साथ ही कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष श्रवण चावड़ा, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम नारोलिया एवं चिंटू वर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज ठाकुर, वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव, आर्य रामलाल प्रजापति, डॉ. प्रशांत दुबे, संगीता भार्गव, शेखर बुंदेला, जितेन्द्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. कैप्टन विष्णु प्रसाद शुक्ला ने कहा भारतीय सेना अत्यंत सक्षम है. हमें अपनी सेना पर गर्व है. दीपक शर्मा ने कहा, सेना में रहकर देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अनुभव रहा. आर.डी. शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा फौज रोजगार का जरिया नहीं, यह राष्ट्र सेवा का माध्यम है. कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम यादव ने की. संचालन अवधेश तिवारी ने किया, . विष्णु प्रसाद शुक्ला ने आभार माना. कार्यक्रम में विशेष रूप से पार्षद सुवर्णा दुबे, अजय चौधरी, पूनम केथवास, विनोद जाट, मायापटेल, आरती शर्मा, सुभाष कदम सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

51000 पौधारोपण अभियान का शुभारंभ

महू. विश्व पर्यावरण दिवस पर आज महू मे आंबेडकर गार्डन के पीछे जनरल रोड पर डाबर इंडिया लिमिटेड, छावनी परिषद महू व संस्था ऋषिराज महू इंदौर कि ओर से 51000 पौधारोपण अभियान जो कि 30 जून तक निरन्तर चलेगा का शुभारंभ भव्यता व हर्षोल्लास के साथ महू के गणमान्य नागरिकगणो कि उपस्थिती मे महू विधायक उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य व ऐडम कमाण्डेंट कर्नल अनुराग शर्माजी की अध्यक्षता व पूर्व सांसद कृष्णा मुरारीजी मोघे, डाबर इंडिया यूनिट एच आर हेड नीरज कुमार, यूनिट हेड राबिन गोयलजी के विशेष आतिथ्य मे 5100 पौधारोपण के साथ सम्पन्न हुआ. अतिथी स्वागत छावनी परिषद कार्यपालन अधिकारी विकास कुमार, डाबर इंडिया अधिकारी नरेश कुमार, संस्था ऋषिराज अध्यक्ष विकास शर्मा, सचिव शीतल शर्मा, सदस्य पवन शर्मा ने किया संचालन संजय शर्मा मामा एडवोकेट विधी सलाहकार संस्था ऋषिराज ने किया. आयोजन मे सर्वसमाज के प्रतिनिधीगण, समाजसेवी व विभिन्न संस्थाओ के प्रतिनिधी उपस्थित थे प्रमुख रूप से शेखर बुंदेला, राधेश्याम यादव, पं. गोविन्द शर्मा, पं. दिनेश शर्मा, शैलेन्द्र शुक्ला, पं. ऋषि शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, एडवोकेट रवि आर्य, डॉ स्वर्णा दुबे, एडवोकेट उमेश चौरसिया, एडवोकेट कुलदीप श्रीवास्तव, कांता सोडानी, चंदूलाल लड्ढा, एकेडमी स्कूल संचालक राजेश पाटीदार, फौजी ब्रजलाल पटेल, गजानंद शर्मा, दिनेश कापड़े मुकेश पटेल, सुभाष मुदगल, पं. मनोज शर्मा मन्नू,निधी शर्मा, स्मृति दुबे सहित आम नागरिको व महिलाओ ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पौधारोपण किया. आयोजन में वरिष्ठ सैन्य अधिकारीगण व छावनी परिषद के वरिष्ठ अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित थे. आभार संस्था ऋषिराज के अध्यक्ष विकास शर्मा ने व्यक्त किया.

पानी की बूंद बचाने, जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ

- श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा गंगा पूजन का आयोजन
- पहुंचे अनेक महामंडलेश्वर एवं संत

इंदौर. श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में पंचकुइया स्थित राम मंदिर एवं गोशाला पर आयोजित गंगा पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर स्वामी रामगोपालदास महाराज, महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप एवं महामंडलेश्वर पवनदास महाराज एवं वरिष्ठ संत राजानंद महाराज के सानिध्य में पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण करने, नदियों, बावड़ियों और कुओं को स्वच्छ रखने तथा पर्यावरण संवर्धन के लिए वर्षाकाल में अपने घर-आंगन में पौधे रोपने जैसे अभिनव संकल्प लिए.

श्रद्धा सुमन सेवा समिति के अध्यक्ष हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गंगा पूजन तथा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का यह कार्यक्रम पंचकुइया राम मंदिर पर संतों के सानिध्य में आयोजित किया गया. प्रारंभ में सभी सदस्यों ने गंगा मैया का पूजन-अभिषेक किया। इस अवसर पर समाजसेवी किशोर गोयल एवं अशोक गोयल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे. गंगा मैया की आरती में समाजसेवी नारायण अग्रवाल (420 पापड़), सेवा सुरभि के संयोजक ओमप्रकाश नरेड़ा, बलराम सोनी, गोपाल अग्रवाल, उमेश गेहलोत, आशीष जैन, रवीन्द्र त्यागी, मुरलीधर धामानी, मनीष अग्रवाल, जवाहर शर्मा, डॉ. चेतन सेठिया, सूरजसिंह राठौर, अशोक बंग, पुरुषोत्तम मेढ़तवाल तथा मातृशक्ति की ओर से सुश्री किरण ओझा, राजकुमारी मिश्रा, गीता शर्मा, ज्योति शर्मा, सीमा सेन, पुष्पा यादव आदि ने भाग लिया. संचालन हरि अग्रवाल ने किया और आभार माना राजेन्द्र सोनी ने.

नदियों को निर्मल बनाने का आह्वान

महामंडलेश्वर पवनदास महाराज ने इस मौके पर पर्यावरण और प्रकृति का महत्व बताते हुए सभी सदस्यों को शपथ दिलाई कि वे पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण करेंगे, नदियों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखेंगे तथा वर्षाकाल में अपने आसपास उपयुक्त स्थान पर कम से कम एक-एक पौधा लगाएंगे. महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज, महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप एवं अन्य संतों ने भी गंगा की महत्ता बताते हुए देश की सभी नदियों को साफ-सुथरा एवं निर्मल बनाए रखने का आह्वान किया.

गंगा के साथ गीता और गो माता के संरक्षण का प्रयास भी करें : गोपालदास

खाटू श्याम धाम पर चल रहे वार्षिकोत्सव में पहुंचे अनेक महामंडलेश्वर

इंदौर. गाय, गीता और गंगा ङ्क्तइन तीनों का महत्व सनातन संस्कृति में माता के समान माना गया है। ये तीनों भारतीय समाज में वंदनीय और पूजनीय बनी हुई हैं. गंगा का पानी, गीता की वाणी और गाय के दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है. गंगा नाम ही कल्याणकारी होता है. हमारी संस्कृति इतनी वृहद और उदार है कि नदी, पर्वत, पशु और पौधों को भी हमने परमात्मा का दर्जा दिया है. गंगा दशहरे के पर्व पर हम सब इन तीनों के संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास करें तो निश्चित ही भारतीय सनातन संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि स्थान पर बनी रह सकती है.

ये विचार हैं एयरपोर्ट रोड, अंबिकापुरी स्थित श्री खाटू श्याम धाम के महामंडलेश्वर स्वामी गोपालदास महाराज के, जो उन्होंने गुरुवार को दोपहर में गंगा दशहरे पर आयोजित गंगा, गीता और गो माता के पूजन प्रसंग पर व्यक्त किए. महंत नीलू बाबा ने बताया कि इस अवसर पर महामंडलेश्वर नलिनी दास, महामंडलेश्वर कविता दास, महामंडलेश्वर जयेश दास, महामंडलेश्वर ललितादास एवं महामंडलेश्वर मीरा दास सहित अनेक संत-विद्वानों ने भी पूजन में भाग लिया. इसके पूर्व सुबह खाटू श्याम धाम पर चल रहे महायज्ञ में भी आचार्य मुकेश उपाध्याय, पं. पवन शर्मा एवं पं. रोहित शर्मा के निर्देशन में आज महायज्ञ में सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, जावित्री, जायफल के साथ 1008 पान की आहुतियां भी समर्पित की गई. यज्ञ देवता की आरती में सोनू मिश्रा, सुनील पांडे, पवन जैन, सुशील यादव, रेखा परमार, रेखा मालवीय सुमित्रा दायमा, मीना सारड़ीवाल, मीना सोनी, संतोष ठाकुर, ममता सोनी, संध्या गुप्ता, दिव्या अग्रवाल, शांतनु मिश्रा, कुसुम सेन, मणि मिश्रा, प्रेमलता सेन सहित सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया. मायरे की कथा - दोपहर में नानी बाई के मायरे की कथा में श्यामप्रिया सुश्री मुस्कान शर्मा ने कहा कि भक्ति निश्छल हो तो भगवान कृपा करने में कोई कंजूसी और देरी नहीं करते। भगवान को सब कुछ मंजूर है, लेकिन भक्त के दुख और आंसू मंजूर नहीं. महंत नीलू बाबा ने बताया कि शुक्रवार, 6 जून को निर्जला एकादशी पर दोपहर 12 बजे श्याम बाबा का मनोहारी श्रृंगार तथा दोपहर 3 बजे से श्यामप्रिया मुस्कान शर्मा के श्रीमुख से मायरे की कथा में भगवान 56 करोड़ का मायरा लेकर नानी बाई की प्रतिष्ठा बचाने आएंगे।

शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूँकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता शिवालिक लघु वित्त बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हैं। शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण खाता क्रमांक 103041541320 के लिए दिनांक 20-03-2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया जिसमें 1. **श्री बाबूलाल पुत्र श्री पुना जी (उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी ग्राम गुराड़िया गुर्जर, तहसील घटिया उज्जैन मप्र 456550, 2. श्रीमती रामकन्या पत्नी बाबूलाल (सह-उधारकर्ता) निवासी ग्राम गुराड़िया गुर्जर, तहसील घटिया उज्जैन मप्र 456550** को नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रुपए मात्र)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस करना है। ऋणी द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणी(ओं) तथा आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ वर्ष 2025 के जून माह के 04वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी(ओं) विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड द्वारा **3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रुपए मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा। ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति पर समतामूलक बंधक:
आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 375 वर्ग फीट है, सर्वे संख्या 912, पी. हल्का संख्या 70, ग्राम गुराडिया गुर्जर तहसील घटिया और जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जो राजस्व अभिलेख पट्टा दस्तावेज संख्या Q/P/2023 दिनांक 15-05-2023 में पंजीकृत है श्री बाबूलाल पुत्र श्री पुना जी के नाम पर।

सीमा:

उत्तर	सड़क	दक्षिण	रामचंदर का घर
पश्चिम	मंदिर की भूमि	पूर्व	रमेश का घर

दिनांक: 04-06-2025 **Sd/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: उज्जैन **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (अनुच्छेद -IV A) (नियम 8 (6)

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री. जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री किशन कौशल 2. श्रीमती हेमा कौशल (प्रॉस्पेक्ट नं. 840373)	21 मई 2022 और रु. 4,04,786/- (रु. चार लाख चार हजार सात सौ छियासी मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा प्लॉट नंबर 308 क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट, श्रद्धा रेजीडेंसी, ग्राम बोधा सिंह्य ब्लॉक महू, इंदौर, इंदौर, 453441, मध्य प्रदेश, भारत	23 अगस्त 2022 कुल बकाया राशि 8 मई 2025 को रु. 5,52,653/- (रु. पांच लाख बावन हजार छह सौ तिरेपन मात्र)	रु. 3,85,000/- (रु. तीन लाख पिच्यासी हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 38,500/- (रु. अड़तीस हजार पांच सौ मात्र)
प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक 20 जून 2025 11.00-14.00 बजे		**ईएमडी की अंतिम दिनांक 23 जून 2025 के 5.00 बजे तक**		**ई-नीलामी दिनांक/समय 25 जून 2025 11.00 से 13.00 बजे**

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट:-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए:-** login https://www.iiflonehome.com >My bid>Pay Balance Amount
महत्वपूर्ण जानकारी- यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है. भौतिक कब्जा SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा -14 आदेश प्राप्त होने के बाद और जब भी भौतिक की पेशकश की जाएगी, कब्जा ले लिया जाएगा. बोली लगाने वाले को भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक परिश्रम करना होगा.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @ 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अवतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.
स्थान- इन्दौर, दिनांक- 6-6-2025 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

सब्जी दुकानदार पर किया हमला

इंदौर. लड़की भगाने के शक में कुछ युवकों ने बायपास पर सब्जी की दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि दुकानदार के साथ जमकर मारपीट भी की.

पीड़ित राज कुशवाह ने लसूडिया थाने पहुंच कर पुलिस को बताया कि बायपास क्षेत्र में उसकी सब्जी की दुकान है. वहां कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और लड़की भगाने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे. राज द्वारा आरोप से इनकार करने पर आरोपियों में से विकास रघुवंशी नामक युवक ने गालियां देते हुए हमला कर दिया.

कब्जा नोटिस

उक्तवर्णित जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) ने सिक्योरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के सहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के सहपठित संलग्न 13(12) के सहत अधिकारों के पालन में रजिस्टर/ सह-रजिस्टर को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि चुकाने को कहते हुए नोटिस जारी की थी. उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में उक्त वर्णित लागू दरों पर ब्याज सहित संविदित राशि चुकाने को रजिस्टर को उक्त नोटिस जारी की गई थी.

क्र.	लोन नं.	रजिस्टर/सह-रजिस्टर/बंधक	13(2) नोटिस तिथि/ बकाया राशि (रु.)	तिथि/समय व कब्जा तिथि
1.	4502590100001238	1) श्री बलराम कुशवाह पुत्र मुन्नालाल, 2) श्रीमती अंजना कुशवाह पत्नी बलराम कुशवाह	12.03.2025, 09.03.2025 तक रु. 19,71,869.42 (रुपये उन्नीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ उनहत्तर और बयालीस पैसे मात्र)	दिनांक 2.6.2025 समय 11.40 बजे प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 101 सहित छत पानी जार.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर, विकास सुपर बिल्टिंग एरिया 318.25 वर्ग फीट है (29.56 वर्ग मीटर), बहुमंजिला इमारत जिसे 'देवाशी अपार्टमेंट' के नाम से जाना जाता है, नगरपालिका क्रमांक 28 की भूमि पर निर्मित है, जो नगरिक क्षेत्र (अवधान पार्क से दक्षिण की ओर), इंदौर, तहसील और जिला इंदौर में स्थित है. चारों ओर- पूर्व में- फ्लैट क्रमांक 102, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- मकान क्रमांक 27 और दक्षिण में- मकान क्रमांक 29 है.

2.	3111596300000276 और 3111594100001612	1) श्रीमती सपना सिद्धेश्वर पत्नी मोहम्मद अकबर 2) श्री मो. अकबर पुत्र मो. हुसैन	24.03.2025, 13.03.2025 तक रु. 6,96,809.72 (रुपये छह लाख तिरानवे हजार आठ सौ नौ और बहत्तर पैसे मात्र)	दिनांक 2.6.2025 समय 12.35 बजे प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण- एक सभी आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर जिसमें प्रथम तल पर फ्लैट नंबर 111 शामिल है, जिसमें 462 वर्ग फीट (42.93 वर्ग मीटर) का सुपर बिल्ट-अप एरिया शामिल है, जो भी सात कनाडा रेजीडेंसी फेज III, ग्राम रैनोद, पी.एच. नंबर 35/3/1, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित फ्लैट नंबर 08 का निर्मित बहुमंजिला इमारत में 'सात अपार्टमेंट' के रूप में जाना जाता है. सीमा- पूर्व में सड़क, पश्चिम में आम मार्ग, उत्तर में फ्लैट नंबर 110 और दक्षिण में सात नंबर 112.

3.	5304949300001018	1) श्री पप्पू गजोरिया पुत्र गनेड़ार, 2) श्रीमती रूपा पत्नी पप्पू गजोरिया	18.03.2025, 09.03.2025 तक रुपये 4,89,267.21 (रुपये चार लाख नवासी हजार दो सौ सड़सठ और इक्कीस पैसे मात्र)	दिनांक 2.6.2025 समय 01.50 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण- फ्लैट संख्या 328-बी (पैकेज) की भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट (46.45 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर आर.सी.सी. निर्माण, समता संख्या 551, कार्ड संख्या 23, करवासी ग्राम कलियासी, सेमरिया पी, सिटी पैकेज ज्यूनियर, नगर निगम पैकेज, तहसील और जिला पैकेज (म.प्र.) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा- पूर्व में- कलियासी रोड, दक्षिण में- फ्लैट नंबर 336-बी, उत्तर में- फ्लैट नंबर 329 ए का संयुक्त वर्गों का घर और दक्षिण में- फ्लैट नंबर 328 का हिस्सा.

4.	5115963000001467 और 5115941000001473	1) श्री आशिष पटेल पुत्र रतनलाल, 2) श्री अरविन्द पुत्र रतनलाल, 3) श्रीमती रेखाबेन श्री पत्नी आशिष पटेल, 4) श्रीमती नीलोबा पत्नी अरविन्द	19.03.2025, 13.03.2025 तक रु. 50,54,856.16 (रुपये पचास लाख चौवन हजार आठ सौ छप्पन और सोलह पैसे मात्र)	दिनांक 2.6.2025 समय 03.07 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण- अनुसूचित संपत्ति (भाग 'ए')- अलग खसरा नंबर 373/2/1 के भाग वाली भूमि पर स्थित मकान का वह पूरा ट